



डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लि.

भारत सरकार (रेल मंत्रालय) का उपक्रम

Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited

A Govt. of India (Ministry of Railways) Enterprise

No. 2020/HQ/Admin/RTI-579

नई दिल्ली, दिनांक: 28.06.2021

श्री राकेश कुमार शर्मा
पुत्र श्री हरदयाल शर्मा
निवास - मकान सं०-19/213, गली नं०-6,
हनुमान पूरी महेंद्र नगर,
अलीगढ़ (उत्तर प्रदेश)
पिनकोड-200201

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम- 2005 के अंतर्गत प्राप्त प्रथम अपील आवेदन का निस्तारण।

संदर्भ: 1. सूचना का अधिकार अधिनियम- 2005 के अंतर्गत प्राप्त आपका आवेदन दिनांक 22.06.2020, जो महाप्रबंधक/ DFCCIL/टूंडला के कार्यालय में दिनांक 02.07.2020 को प्राप्त हुआ एवं जन सूचना अधिकारी /DFCCIL के कार्यालय में दिनांक 23.07.2020 को प्राप्त हुआ।

2. जन सूचना अधिकारी /DFCCIL के द्वारा इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 30.07.2020 के साथ उपलब्ध कराई गई सूचना।

3. आपका प्रथम अपील पत्र दिनांक 24.07.2020 एवं 19.08.2020।

सूचना का अधिकार अधिनियम- 2005 के अंतर्गत प्राप्त आपका आवेदन दिनांक 22.06.2020, जो जन सूचना अधिकारी /DFCCIL के कार्यालय में दिनांक 23.07.2020 को प्राप्त हुआ (संदर्भ-1), के द्वारा मांगी गई सूचना, आपको इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 30.07.2020 के साथ उपलब्ध कराई गई (संदर्भ-2), जो की निर्धारित समय सीमा के अंदर था।

2. आपने प्रथम अपील आवेदन दिनांक 24.07.2020 (संदर्भ-3) के द्वारा निर्धारित समय सीमा के अंदर सूचना प्राप्त नहीं होने की बात की है। इस सम्बन्ध में आपको अवगत कराना है की, सूचना का अधिकार अधिनियम- 2005 के अंतर्गत, जन सूचना अधिकारी द्वारा सूचना प्रदान करने हेतु निर्धारित 30 दिनों की समय-सीमा, आवेदन प्राप्ति के दिन से सूचना उपलब्ध कराने के दिन तक की अवधि है। इसमें पत्र प्रेषण एवं वितरण हेतु डाक विभाग द्वारा लिया गया समय शामिल नहीं किया जाता है। पुनः अपील आवेदन दिनांक 19.08.2020 (संदर्भ-3) के द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के असत्य एवं भ्रामक होने के संबंध में लिखा गया है, जो की सत्य नहीं है। उपलब्ध अभिलेख के अनुसार, आपके द्वारा जिस जमीन के बारे में सूचना मांगी गई है, वह जमीन आपके नाम पर नहीं है। अतः, सूचना का अधिकार अधिनियम- 2005 के अंतर्गत ही आपको सूचना उपलब्ध कराई गई। हालाँकि, उक्त जमीन से संबंधित व्यक्ति द्वारा सूचना मांगे जाने पर, उपलब्ध अभिलेख के अनुसार, सूचना का अधिकार अधिनियम- 2005 के अंतर्गत सूचना प्रदान की जाएगी।

आशा है कि आप स्थिति से सहमत होंगे।



ED853155425IN



(आर. पी. छिब्रर)

समूह महाप्रबंधक /प्रशासन
(अपीलीय प्राधिकारी)